न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:-91 / 22

कृपा पत्नि बल्ला, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम तरसूमा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर

............वादिनी

बनाम

1. अमीरसिंह पुत्र कमलसिंह, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम तरसूमा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर

............असल प्रतिवादी

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना

............तरतीवी प्रतिवादी

वाद डिवीजन ऑफ होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक:- 12-01-2026

उपस्थितिः- श्री भगवानसिंह गुर्जर एड0 वादिनी

वादिनी द्वारा यह वाद डिवीजन ऑफ होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज.टी.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि खाता संख्या 15, पुराना 103 के आराजी खसरा नम्बर 125 रकबा 0.15 हैक्ट. वाके ग्राम तरसूमा तहसील बयाना में स्थित है। जिसमें वादिनी कृपा 1/2 भाग की व असल प्रतिवादी अमीरसिंह 1/2 हिस्से के संयुक्त रूप से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है। उक्त वर्णित आराजी वादिनी व असल प्रतिवादी की अविभाजित होल्डिंग है जिसका वाई मीटस एण्ड वाउण्डस विभाजन आज तक कभी नहीं हुआ है जिसे मौके पर वादिनी एवं असल प्रतिवादी अपने-अपने निहित हिस्से के अनुसार शामिल शरीक में काश्त कर अपने-अपने हिस्सो की उपज लेते चले आ रहे हैं। असल प्रतिवादी, वादिनी से कुछ दिनों से द्वेष रखने लगा है और उसे अनावश्यक रूप से उक्त आराजी जोतने बोने में विघ्न बाधा उत्पन्न करने लगा है तथा बिना बटवारा हुये उक्त आराजी को रहन, बय मुन्तकिल करने व अच्छी-अच्छी जमीन पर कब्जा करने पर उतारू है। वादिनी ने असल प्रतिवादी से दिनांक 08.05.2022 को उक्त विवादित आराजी में वर्णित हिस्सो के अनुपात से वाई मीटस एण्ड वाउण्डस मुताबिक रिकार्ड व कब्जे के विभाजन करने को कहा तो असल प्रतिवादी ने वाहमी तौर पर विभाजन करने से साफ इन्कार कर दिया है और वादिनी को यह धमकी दी है कि मै अच्छी-अच्छी आराजी पर लट्ठ व पैसे की ताकत से कब्जा करूंगा अगर कब्जा करने में सफल नहीं हुआ तो किसी लट्ठ व पैसे वाले व्यक्तियों को रहन, बय मुन्तकिल कर दूंगा तथा वादिनी को उसके हिस्से से जबरन बेदखल कर दूंगा। वादिनी सीधी सादी गरीब महिला है असल प्रतिवादी चतुर चालाक झगडालू किस्म का व्यक्ति है। जिसकी नीयत मे बदयान्ती आ गई हैं। वादिनी, असल प्रतिवादी की जोर जबरदस्ती का मुकाबला करने में कतई असमर्थ है। अगर असल प्रतिवादी अपनी उक्त नाजायज मंशा व धमकी में सफल हो गया तो वादिनी को अपरमित क्षति होगी और वादिनी वर्बाद हो जावेगी और व्यर्थ मुकदमे बाजी मे फस जावेगी।

अन्त मे उक्त वर्णित विवादित आराजी ग्राम तरसूमा तहसील बयाना से जमाबन्दी में दर्ज हिस्से का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी वादिनी का 1/2 हिस्से का कुरा अलग से बनाया जाकर व इसी प्रकार असल प्रतिवादी का 1/2 हिस्से का कुरा अलग से बनाया जाकर उसके मुताबिक वादिनी व असल प्रतिवादी के कुरे में वर्णित आराजी को कब्जे व दखल में दिलाया जावे, असल प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त वर्णित विवादित आराजी खसरा नम्बर 125 रकबा 0.15 हैक्ट. वाके ग्राम

तरसूमा तहसील बयाना में वादिनी को उसके बट व हिस्से के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से रूकावट नहीं डालें वादिनी को उसके हिस्से से बेदखल नहीं करें शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें व उक्त विवादित आराजी के किसी भी हिस्से को रहन, बय, मुन्तकिल नहीं करें, का निवेदन किया।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। असल प्रतिवादी अगीरसिंह ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर दावा प्रारम्भिक डिक्री किये जाने मे अपनी सहमति व्यक्त की। दावा दिनांक 14.06.2024 से प्रारम्भिक डिक्री किया गया। तहसीलदार बयाना को कुरेजात रिपोर्ट बाबत लिखा गया। तहसीलदार बयाना ने अपने पत्रांक/ LR /25/166 दिनांक 15.01.2025 से प्रकरण के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि ग्राम तरसूमा के खसरा नम्बर 125 रकबा 0.15 हैक्ट. में अगीरसिंह पुत्र कमलसिंह हिस्सा 1/2 जाति–गूजर सा0 देह खातेदार व कृपा पत्नी बल्ला हिस्सा 1/2 जाति गूजर सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। राजस्व नक्शा शीट में उक्त खसरा नम्बर का क्षेत्रफल 0.15 हैक्ट. की तुलना में कम है। जिसमें तरमीम कार्य से दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं है। नियमानुसार कुरेजात रिपोर्ट तैयार किया जाना सम्भव नहीं है।

उक्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में उभयपक्षकारान की ओर से कोई आपत्ति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं की गई है। दौराने बहस एड0 वादिनी अपना पक्ष स्पष्ट कर नहीं कर पाये है।

हमने पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2073–76 ग्राम तरसूमा, तहसीलदार बयाना का पत्रांक/LR/25/166 दिनांक 15.01.2025 से प्रकरण के सम्बन्ध में रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। उक्त वर्णित आराजी वादिनी व असल प्रतिवादी की अविभाजित होल्डिंग है जिसका वाई मीटस एण्ड बाउण्डरी विभाजन आज तक कभी नहीं हुआ है। किन्तु राजस्व नक्शा शीट में उक्त खसरा नम्बर का क्षेत्रफल 0.15 हैक्ट. की तुलना में कम है। जिसमें तरमीम कार्य से दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं है। ऐसे में नियमानुसार विभाजन किया जाना संभव नहीं है। दावा वादिनी खारिज योग्य है।

आदेश

अतः दावा वादिनी डिवीजन ऑफ होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज.टी.एक्ट खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना